

32



1

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक / फिल्म नं - ३२६२/२०१८/चिंदवाड/१४२२

हरिचंद आयु 60 वर्ष पिता मोतीलाल जाति गोड
निवासी ग्राम साल्हें पोस्ट कोसमी विंखं० बरघाट थाना बरघाट
तह० बरघाट जिला सिवनी (म0प्र0)

..... पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

विरुद्ध

श्री शुभे भरती ८१४१८
द्वारा आधिकारिक नाम सूचिश शासन,
प्रस्तुत। प्रारंभिक तक हैनु
दिनांक ६-६-१८ नियत।

..... अनावेदक

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत पुनरीक्षण

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा ५० के अंतर्गत सविनय यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, म0प्र0 भू०रा०सं० १९५९ की धारा १६५ में अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति कृषकों के हित में उनके स्वामित्व की कृषि/अकृषि भूमि गैर आदिवासी क्रेताओं के पक्ष में विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है लेकिन अधिसूचित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में आदिवासी कृषकों की भूमियों के अंतरण पर प्रतिबंध न लगाते हुए संबंधित जिले के कलेक्टर को आदिवासियों की भूमि पर विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने हेतु भी स्पष्टतः प्रावधानित किया गया है।

2- पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक जातिगत गोड है और ग्राम साल्हें पोस्ट कोसमी विंखं० बरघाट थाना बरघाट तह० बरघाट जिला सिवनी का स्थाई निवासी हैं। आवेदक ग्राम सहजपुरी बं०नं० ५४३ हल्का नं० १८ रा०नि०मं० छिंदवाड़ा (अधिसूचित क्षेत्र से बाह्य ग्राम) तह० छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा में स्वयं के भूमि स्वामी अधिकारों में कृषि भूमि ख०नं० ४२/१, ४२/४ रकबा क्रमशः 1.628 एवं 0.958 कुल रकबा 2.537 है० धारण करता है। यह कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है। आवेदक द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक २५-१-९६ के माध्यम से विक्रेता भारत पिता शोभे गोड निवासी सहजपुरी से क्रय कर विधि अधीन वैधानिक स्वत्व अर्जित किये गये हैं। उपरोक्त कृषि भूमि पर आवेदक का क्रय दिनांक से निर्विवाद रूप से स्वामित्व एवं कब्जा भी निरन्तर चला आ रहा है। आवेदक वृद्ध है एवं अस्वस्थ रहता है, वृद्धावस्था एवं बीमारी की स्थिति में आवेदक अपने निवास ग्राम कोरामी तह० बरघाट जिला सिवनी से दूरस्थ ग्राम सहजपुरी की उक्त कृषि भूमि को कास्त करने में असमर्थ होने के कारण अपने परिवार के जीविकोपार्जन, एवं समीपस्थ ग्राम की भूमि को उपजाऊ एवं उन्नत बनाने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने के कारण जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा (म0प्र0) के समक्ष ग्राम सहजपुरी प०ह०नं० १८ बं०नं० ५४३ रा०नि०मं० छिंदवाड़ा तह० छिंदवाड़ा (अधिसूचित क्षेत्र से बाह्य ग्राम) स्थित भूमि स्वामी कृषि भूमि ख०नं० ४२/१ रकबा 1.628 है०

G



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0-3262/2018/छिंदवाडा/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५/६/१८	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, छिंदवाडा के प्रकरण क्रमांक 101/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28-4-18 के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा ग्राम सहजपुरी प0ह0नं0 18 तहसील व जिला छिंदवाडा स्थित भूमि खसरा नं0 42/1 रकबा 1.628 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति चाही गई है। आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5-3-76-384-सात-न 1 दिनांक 21-2-1977 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 11-3-1977 के अनुसार अंतरण पर रोक विनिर्दिष्ट दिनांक 26 जनवरी, 1977 के पश्चात आदिम जनजाति के विनिर्विष्ट क्षेत्र के भूमिस्वामी अधिकारों के बगैर आदिम जनजाति के व्यक्तिके हित में अंतरण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और चूंकि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तिहैं और वे गैर आदिवासी को भूमि विक्रय करना चाहते हैं। उक्त आधार पर कलेक्टर ने आवेदक के आवेदन को ग्राह्य योग्य न मानते हुए निरस्त किया है। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि आवेदित भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदित भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की पैत्रिक भूमि है।</p>	

3

प्रकरण क्रमांक - निग0-3262/2018/छिंदवाडा/भू0रा0

स्थल तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५/६/१८	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, छिंदवाडा के प्रकरण क्रमांक 101/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28-4-18 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वाभित्व एवं आधिपत्य की मौजा ग्राम सहजपुरी प0ह0नं0 18 तहसील व जिला छिंदवाडा स्थित भूमि खसरा नं0 42/1 रकबा 1.628 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति चाही गई है। आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5-3-76-384-सात-न 1 दिनांक 21-2-1977 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 11-3-1977 के अनुसार अंतरण पर रोक विनिर्दिष्ट दिनांक 26 जनवरी, 1977 के पश्चात आदिम जनजाति के विनिर्विष्ट क्षेत्र के भूमिस्वामी अधिकारों के बगैर आदिम जनजाति के व्यक्ति के हित में अंतरण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और चूंकि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं और वे गैर आदिवासी को भूमि विक्रय करना चाहते हैं। उक्त आधार पर कलेक्टर ने आवेदक के आवेदन को ग्राह्य योग्य न मानते हुए निरस्त किया है। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि आवेदित भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदित भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की पैत्रिक भूमि है।</p>	

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0-3262/2018/छिंदवाडा/भ०रा०

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अङ्गचन प्रतीत नहीं होती है। अतः कलेक्टर, छिंदवाडा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की मौजा ग्राम सहजपुरी प0ह0नं0 18 तहसील व जिला छिंदवाडा स्थित भूमि खसरा नं0 42/1 रकबा 1.628 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित *कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा। उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>परिणामस्वरूप यह निगरानी उपरोक्तानुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> 	(एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य